कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर

क्रमांकः–नविन्या/बीका/अ.अभि.I/2017/ दिनांक :–

निविदा सूचना संख्या 17/I/2016–17

नगर विकास न्यास द्वारा सा.नि.वि. के संशोधित पंजीयन नियमों के अन्तर्गत एवं राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग जयपुर के पंत्राक पं.1(147)नविवि/3/2008 की शर्तों को सम्मिलित करते हुए सक्षम श्रेणी के पंजीकृत संवेदको से निम्नलिखित कार्यों हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक **25.01.2017** को दोपहर 2.00 बजे तक विक्रय की जाकर दिनांक **25.01.2017** दोपहर 3.00 तक प्राप्त की जाकर, उसी दिन सायं 4.00 बजे उपस्थित संवेदको के समक्ष खोली जावेगी। निविदा विक्रय/प्राप्ति दिनों को सार्वजनिक अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को सम्पन्न होगी। निविदा हेतु आवेदन पत्र मुद्रित लेटर पैड पर आयकर/बिक्रिकर टिन नम्बर अंकित होना अनिवार्य है। अनुबंध की निविदा सूचना की धारा 11 की शर्तें लागू होगी। निविदा दरो की वैद्यता 4 माह तक ही रहेगी। निविदा www.sppp.rajasthan.gov.in देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखो में)	धरोहर राशि 2 प्रतिशत 1/2 प्रतिशत	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	**T.S for UIT land khasra no. 109,111 sujandesher, (mohta srahee), KH no.189 Kismidesar ,bikaner**	1.17	2340/- 585/-	500/-	1 Month

शर्तें :– विस्तृत जानकारी न्यास की वेबसाईट www.uitbikaner.org, spppj.raj.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

1. अन्य विभागों से पंजीकृत "ए एवं एए" श्रेणी संवेदको को ही निविदा विक्रय की जावेगी।
2. संबंधित खण्ड द्वारा निविदा विक्रय की जावेगी।
3. संवेदको को निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
4. निविदा शुल्क के साथ धरोहर राशि(ई.एम.डी.) जमा करवानी अनिवार्य है।
5. संबंधित खण्ड़ में ही निविदा खोली जावेगी।
6. उक्त कार्य का अनुभव रखने वाले संवेदक को ही निविदा विक्रय की जावेगी।

–Sd–
अधिशाषी अभियन्ता–प्रथम
नगर विकास न्यास
बीकानेर

क्रमांकः–नविन्या/बीका/अ.अभि.I/2017/ 489-490
10/1/2017 दिनांक :–
प्रतिलिपि :– [illegible] पर [illegible]

उपरोक्त निविदा सूचना को [illegible] कॉलम [illegible] सेमी में आगामी अंक में बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/राज्य स्तर (50000 तथा 50000 से अधिक समाचार पत्र का सरकोलेशन होने पर)/आखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले अंक में प्रकाशित करावें, जिसका भुगतान डी.पी.आर. दर से किया जावेगा। बिल समाचार पत्र की प्रतियाँ में संलग्न कर बिल भिजवायें तथा जिस दिन समाचार पत्रों में प्रकाशन हो उसी दिन एक समाचार की प्रति संबंधित अधिकारी को भिजवायें।

अधिशाषी अभियन्ता–प्रथम
नगर विकास न्यास
बीकानेर